प्रेस नोट *24/05/2025*

अवैध पिस्टल व कारतूस के साथ एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 24.05.2025 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर रामनगर मोड़ के पास से अभियुक्त हरिकेश सिंह पुत्र स्व0 विरेन्द्र सिंह निवासी बेनुपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ के कब्जे से एक अदद अवैध पिस्टल .32 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 219/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. हरिकेश सिंह पुत्र स्व0 विरेन्द्र सिंह निवासी बेनुपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी–

1. एक अदद अवैध पिस्टल .32 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर।

07 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 24.05.2025 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त अरविन्द कुमार पुत्र दशईराम निवासी इमिलिया थाना सरायलखन्सी, थाना रानीपुर पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त जितेन्द्र कुमार पुत्र हरिनाथ निवासी कांझा थाना रानीपुर, थाना घोसी पुलिस द्वारा 01नफर वारण्टी अभियुक्त अनिल कनौजिया पुत्र रूपचन्द कनौजिया निवासी ककरीय मलिक थाना घोसी व थाना कोपागंज पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्तगण अरखु राजभर पुत्र बहादुर राजभर निवासी कसारा, रोशन पुत्र रामबली निवासी खुखुनदवा थाना कोपागंज तथा थाना मधुबन पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्तगण हरिओम उर्फ भुसुर पुत्र लालता निवासी चकगोपाल, रमेश खटिक पुत्र फुयी खटिक निवासी जजौली थाना थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

जनशिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराये जाने के क्रम में आज दिनांक 24.05.2025 को जनपद के समस्त थानों पर समाधान/थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी द्वारा थाना हलधरपुर में उपस्थित रहकर जनशिकायतों को सुना गया तथा इसके समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सर्वसम्बन्धित को निर्देशित किया गया। जनपद के समस्त थानों पर 181 प्राप्त प्रार्थना पत्रों में से कुल 13 प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण कराया गया तथा राजस्व विभाग से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु राजस्व टीम को आवश्यकतानुसार पुलिस बल उपलब्ध कराकर निस्तारण किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।